

बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India

BOI



प्रधान कार्यालय: निवेशक संबंध अनुभाग

स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

फोन: 022 66684490 ई-मेल: Headoffice.Share@bankofindia.co.in

**Head Office:** Investor Relations Cell

Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

Phone: 022 66684490 E-mail:Headoffice.Share@bankofindia.co.in

## सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की 27वीं (सत्ताईसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), मंगलवार, 27 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

### साधारण कारोबार:

#### मद संख्या 1:

यथा 31 मार्च 2023 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता, तुलन पत्र और उपरोक्त अवधि के लिए कवर किये गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

#### मद संख्या 2:

वर्ष 2022-23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2.00 रुपये (20%) की दर से लाभांश घोषित करना।

### विशेष कारोबार :

#### मद संख्या 3:

बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में श्री भूषण कुमार सिन्हा की नियुक्ति।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ [वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.6/2/2022-बीओ.आई दिनांक 11.04.2022] के द्वारा 11 अप्रैल 2022 से प्रभावी होकर अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अंतर्गत श्री भूषण कुमार सिन्हा को बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

#### मद संख्या 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति।

## NOTICE

Notice is hereby given that the 27<sup>th</sup> (Twenty Seventh) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on Tuesday, June 27, 2023 at 11.00 AM at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

#### Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March 2023, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

#### Item No. 2:

To declare dividend for the year 2022-23 @ Rs.2.00 (20%) per equity share.

### SPECIAL BUSINESS:

#### Item No. 3:

Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11.04.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 11<sup>th</sup> April 2022 until further orders be and is hereby approved”.

#### Item No. 4:

Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ [वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21.11.2022] के द्वारा 21 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2025 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत श्री सुब्रत कुमार को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

#### मद संख्या 5:

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री रजनीश कर्नाटक की नियुक्ति।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.4/2/2022-बीओ.आई दिनांक 29.04.2023) के द्वारा 29 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2026 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत श्री रजनीश कर्नाटक को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

#### मद संख्या 6:

बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में श्री मुनीश कुमार रल्हन की नियुक्ति।

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर इसे पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ [(वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एफ.संख्या.6/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21.03.2023)] के द्वारा 21 मार्च 2022 से 20 मार्च 2025 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत श्री मुनीश कुमार रल्हन को बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

#### मद संख्या 7:

नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी जारी करके बैंक हेतु पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो विशेष संकल्प के रूप में, संशोधन के साथ या संशोधन(नों) के बिना पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) धारा 3(2बी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) के खण्ड 20 एवं बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों, और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/6/2021-BO.I dated 21.11.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 21<sup>st</sup> November 2022 to 20<sup>th</sup> November 2025 or until further orders be and is hereby approved”.

#### Item No.5 :

Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Rajneesh Karnatak as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/2/2022-BO.I dated 29.04.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 29<sup>th</sup> April 2023 to 28<sup>th</sup> April 2026 or until further orders be and is hereby approved”.

#### Item No.6 :

Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non Official Director of the Bank under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [F.No.6/6/2021-BO.I dated 21.03.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 21<sup>st</sup> March 2022 to 20<sup>th</sup> March 2025 or until further orders be and is hereby approved”.

#### Item No.7:

Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3 (2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Clause 20 of the the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of

के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमनों यथा सेबी (पूजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018, यथा संशोधित (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से “सेबी विनियमन” कहा जायेगा), सेबी (डेट प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धीकरण) विनियम, 2008, सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धीकरण) विनियम, 2021, विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2017, विदेशी विनियम प्रबंधन (गैर ऋण-लिखित) नियम, 2019 तथा आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो तो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के “निदेशक बोर्ड” (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को एतद्-द्वारा सहमति दी जाती है कि वे भारत में या भारत के बाहर ऑफर दस्तोज / प्लेसमेंट दस्तावेजों/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज(जों) के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखलाओं में (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमत ऐसे निर्गम या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को फर्म आबंटन और/या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आबंटन हेतु प्रावधान सहित) रु 6,500 करोड़ (केवल छह हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की कुल राशि हेतु निम्न के अधीन इक्विटी शेयर निम्नलिखित को सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करें :

- (ए) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के रु. 4500 करोड़ (केवल चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक की राशि तक के नये इक्विटी शेयर, जहां नए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के साथ वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि केन्द्र सरकार की शेयरधारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;
- (बी) आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थायी डेट उपकरणों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सहित, लेकिन अधीनस्थ डिबेंचर, बांड और / या अन्य डेट प्रतिभूतियों / अधिमानि शेयर इत्यादि तक सीमित नहीं है, को निजी प्लेसमेंट/ सार्वजनिक निर्गम के आधार पर, एक या एक से अधिक भागों में जो बेसल III के अनुरूप टीआईआर 1 पूंजी (घरेलू और विदेशी मुद्रा दोनों) के लिए वर्गीकृत हो सकते हैं, जैसा कि आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा पहचाना और वर्गीकृत किया गया है जिसकी कुल राशि उपरोक्त पैरा (ए) के तहत उल्लिखित राशि सहित रु. 4,500 करोड़ (केवल चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक है, को सबक्राइब करने के लिए प्रस्ताव(ओं) या आमंत्रण(णों) हेतु;
- (सी) आरबीआई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार डेट पूंजी लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सहित, लेकिन अधीनस्थ डिबेंचर, बांड, स्थाई गैर-संचयी

the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as “SEBI Regulations”), SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, SEBI (Issue And Listing Of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document / prospectus or such other document (s), in India or abroad for an aggregate amount not exceeding Rs.6,500 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore only) subject to:

- (a) Fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium upto an amount of Rs. 4,500 Crore (Rs. Four Thousand Five Hundred Crore only), where the fresh Paid up Equity Share capital together with the existing Paid-up Equity share capital will be within the total authorized capital of Rs.6,000 crore (Rupees Six Thousand Crore only) of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;
- (b) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 1 Capital (both domestic and foreign currency) as identified and classified by RBI or such other authority for an amount upto Rs.4,500 Crore (Rupees Four Thousand Five Hundred Crore only), including amount mentioned under para (a) above,
- (c) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to debt capital instruments in accordance with the guidelines framed by

अधिमानी शेयरों और / या अन्य डेट प्रतिभूतियों / अधिमानी शेयर आदि तक सीमित नहीं है, को निजी प्लेसमेंट / सार्वजनिक निर्गम के आधार पर, एक या एक से अधिक भागों में, जो बासल III के अनुरूप टीआईआर 2 पूंजी के लिए वर्गीकृत हो सकते हैं, जैसा कि आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा पहचाना और वर्गीकृत किया गया है, जिसकी कुल राशि रु. 2,000 करोड़ (दो हजार करोड़ रुपये मात्र) अधिक नहीं है, को सबक्राइब करने के लिए प्रस्ताव(ओं) या आमंत्रण(णों) हेतु। उक्त कार्रवाई इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान एक या अधिक भागों में करना है। उक्त को बैंक के एक या अधिक कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय ("एनआरआई"), कंपनियां, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार ("क्यूआईबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआईआई"), बैंक, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी को जो मौजूदा विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अधिकृत हैं या किसी उपरोक्त के संयोजन को जैसा कि बैंक द्वारा उचित समझा जाए, को दिया जा सकता है"।

“आगे यह संकल्प पारित किया जाता है कि, प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन योग्य संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईबी), पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, निजी प्लेसमेंट या जारी करने के ऐसे अन्य तरीके के माध्यम से होगा, जैसा कि लागू विधियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह बिना अतिरिक्त-आबंटन के विकल्प या इसके साथ हो सकता है। यह भी कि इस तरह की पेशकश, निर्गम, प्लेसमेंट और प्रतिभूतियों का आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का जारीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के प्रावधानों ("आईसीडीआर विनियम") और आरबीआई, सेबी और किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए और यह ऐसे समय या समयों पर ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, उचित समझे।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे जहां बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि, पूर्वोक्त मुद्दे / मुद्दों के संबंध में, बोर्ड के पास निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा कि वह ऐसी कीमत या कीमतें तय करे जो आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम नहीं हैं तथा यह इस तरह से और जहां भी आवश्यक हो, लीड ब्रंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकारों और/या ऐसे नियमों और शर्तों के परामर्श से, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू विधियों, नियम, विनियम और दिशानिर्देश के संदर्भ में तय कर सकता है, और/या यह इस बात के निरपेक्ष होगा कि प्रस्तावित निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक हैं या नहीं।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हित संस्थागत नियोजन के मामले में:

- क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हित संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से चुकता किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन अथवा ऐसा अन्य कोई समय जिसकी समय-समय पर जारी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के अनुसार बैंक, शेयरों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के पाँच प्रतिशत तक का बट्टा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के निर्धारण की उपयुक्त तिथि आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।”

RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for Basel III compliant TIER 2 Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding **Rs.2,000 Crore (Rupees Two Thousand Crore only)**, during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the , employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutions placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.”
- b) the Bank is pursuant to Regulation 176 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”



“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा जहां जारी की जाने वाली कर्ज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफपीआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू) एवं आबंटन, यदि कोई हो, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य विनियमकों द्वारा यथा निर्धारित संपूर्ण सीमाओं के भीतर ही होगा।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर्स, बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बट्टे) के विनियम, 2007 यथा संशोधित के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ, लाभांश सहित, यदि कोई हो, के साथ-साथ सभी मामलों में समरूप होंगे।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी भी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(हामीदारों), निक्षेपागार(निक्षेपागारों) के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाएं निष्पादित करे तथा उसमें शामिल हो। उसे इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी एजेंसियां जो उक्त प्रतिभूतियों की ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध हैं, उन सभी ऐसी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इनके जैसे माध्यम से पारिश्रमिक दे तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि में शामिल हो एवं निष्पादित करे।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(इश्यू) के प्रारूप एवं शर्तों को निर्धारित करे जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, प्रत्येक भाग में आबंटित करने की उनकी संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, इश्यू संबंधी प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपान्तरण/एक्सचेंज ऑफ वारंट्स/प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी/प्रिफरेंस शेयर्स की संख्या या रूपान्तरित अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों का मोचन या निस्तारीकरण, प्रतिभूतियों के इश्यू/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपान्तरण अवधि, अभिलेख तिथि या बही बंदी का निर्धारण और उससे संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और/या जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से सही पाता है, शामिल है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त ऐसी सभी प्रतिभूतियां जिन पर सहमति नहीं दी गयी है, उन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार से बेचा जा सकता है जैसे बोर्ड उसे सही समझता है और जिसकी अनुमति कानून देता है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों को कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा, अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक निदेशकों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।”

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,

ह/-

स्थान: मुंबई

रजनीश कर्नाटक

दिनांक: 25.05.2023

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट्स:-

1. बैठक की मद संख्या 3 से 7 के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसमें संलग्न है।
2. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (“एमसीए”) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार तथा सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05/05/2020 के पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसरण में और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार कंपनियों को शेयरधारकों की किसी स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बगैर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से वार्षिक आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति है। कम्पनी अधिनियम 2013, सेबी (सूचिकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी 27वीं एजीएम आयोजित कर रहा है। बैंक का प्रधान कार्यालय एजीएम का मानद स्थान होगा। बैंक ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए एजीएम और अटेंडेंट एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में वोट देने के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से यहाँ दिए गए हैं।
3. **परोक्षी की नियुक्ति:**  
लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र है। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिसके साथ संलग्न नहीं किया गया है।
4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**  
संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) पर तथा एक प्रति [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर भी भेजी जाएगी।
5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of Board of Directors,

Sd/-

Place: Mumbai

Rajneesh Karnatak

Date: May 25, 2023

Managing Director & CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 to 7 of the meeting is annexed hereto.
2. In view of the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 and in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the General Circular No. 20/2020 dated 05/05/2020 and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Companies are permitted to hold the AGM through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM), without the physical presence of the Shareholders at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, the 27<sup>th</sup> AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
3. **APPOINTMENT OF PROXY:**  
Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.
4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**  
Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) with a copy marked to the Scrutinizer by email to [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy also marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).
5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.

6. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in), स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdindia.com](http://www.evoting.nsdindia.com) पर भी उपलब्ध रहेगी।
7. वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:
- भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु:** भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास आईएसआर-1 फॉर्म की विधिवत भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां तल, पिनेकल बिज़नेस पार्क, आहुरा सेंटर के नजदीक, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई - 400093 को प्रेषित करके या [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com) को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।
- डीमैट रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु:** अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाईल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।
8. बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को बुधवार, 21 जून, 2023 से मंगलवार, 27 जून, 2023 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।
9. **लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:**
- 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार, 20 जून, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।
10. **लाभांश का भुगतान:**
- बैंक के निदेशक मंडल ने 6 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 2.00 लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 27वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:
- क. 20 जून, 2023 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और;
- ख. रजिस्टर और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 20 जून, 2023 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज
- ग. 27वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।
6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 5<sup>th</sup> January 2023, Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2022-23 of the Bank will also be available on the Bank's website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in), websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of NSDL [www.evoting.nsdindia.com](http://www.evoting.nsdindia.com).
7. **Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:**
- For Physical Shareholders:** Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled in ISR-1 Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6<sup>th</sup> Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com).
- For Shareholders holding shares in Demat form:** Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.
8. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Shareholders will be closed from Wednesday, June 21, 2023 till Tuesday, June 27, 2023 (both days inclusive) for AGM.
9. **Record Date for Dividend:**
- Tuesday, 20<sup>th</sup> June, 2023** has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2023.
10. **Payment of Dividend:**
- The Board of Directors of the Bank in their meeting held on 6<sup>th</sup> May, 2023 has recommended dividend @ Rs.2.00 per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2023. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 27<sup>th</sup> AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:
- a) As Beneficial Owners at the end of the business hours on 20<sup>th</sup> June, 2023 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and;
- b) As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 20<sup>th</sup> June, 2023.
- c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 27<sup>th</sup> AGM.



### 11. लाभांश पर टीडीएस:

- क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैस को अपडेट करें।
- ख) एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैस है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैस पंजीकृत नहीं है तो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर उच्च दरों पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com) पर आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।
- ग) उपरोक्त घोषणाएं और दस्तावेज [tds@bigshareonline.com](mailto:tds@bigshareonline.com) पर ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
12. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।
13. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।
14. संयुक्त शेयरधारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज है, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।
15. जो शेयरधारक खाते या वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 20 जून, 2023 को या उससे पहले बैंक को [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) पर तत्संबंधी ई-मेल भेजें। एजीएम में बैंक द्वारा उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।
16. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयवधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ

### 11. TDS on Dividend:

- a) Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1<sup>st</sup> April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- b) A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 15 G/ 15 H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate as per the provisions of Income Tax Act, 1961. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at [info@bigshareonline.com](mailto:info@bigshareonline.com).
- c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to [tds@bigshareonline.com](mailto:tds@bigshareonline.com).
12. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard. Shareholders may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on Bank's website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in).
13. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.
14. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
15. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before **June 20, 2023** through email on [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in). The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.
16. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect to such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends/



को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) पर निवेशक पृष्ठ के प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

**17. ई-वोटिंग**

बैंक को प्रसन्नता है कि वह नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिवों को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा मंगलवार, 20 जून, 2023 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

**18. ई-वोटिंग अनुदेश**

**शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठकों से जुड़ने हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं :**

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 जून, 2023, प्रातः 09.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 26 जून, 2023 सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट दिनांक (कट-ऑफ दिनांक) अर्थात् 20 जून, 2023 तक शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दिखायी देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों को मतदान अधिकार यथा 20 जून, 2023 कट-ऑफ दिनांक को प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होगा।

**मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे मतदान करूँ?**

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में “दो चरण” शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

**चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना**

**ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1) मौजूदा आईडीईएस यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर “हिताधिकारी स्वामी” आइकन के अंतर्गत “लॉगइन” पर क्लिक करें, जो आईडीईएस खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत ‘एक्सेस टू ई-वोटिंग’ पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर

shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in). For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank’s website <http://www.bankofindia.co.in>.

**17. E-VOTING**

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, June 20, 2023** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

**18. E-VOTING INSTRUCTIONS**

**THE INTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:**

The remote e-voting period begins on June 22, 2023 at 09:00 A.M. and ends on June, 26, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Shareholders, whose names appear in the Register of Shareholders / Beneficial Owners as on the Specified date (cut-off date) i.e. June 20, 2023 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 20, 2023.

**How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?**


The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:


**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing <b>IDeAS</b> user can visit the e-Services website of NSDL Viz. <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name

	<p>क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।</p> <p>2) यदि यूजर IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a> पर उपलब्ध है। “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें या <a href="https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल <a href="https://www.evoting.nsd.com">https://www.evoting.nsd.com</a> टाइप कर वेबब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, ‘शेयरहोल्डर्स/मेम्बर्स’ खंड में उपलब्ध ‘लॉगइन’ आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूजर आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।</p> <p>4) शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप “NSDL Speede” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div data-bbox="351 1295 734 1533" style="text-align: center;"> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p>  </div>
<p>सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक</p>	<p>1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वाले प्रयोगकर्ता <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> वेबसाइट पर जाएँ और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें।</p>

	<p>or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p> <p>2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsd.com">https://eservices.nsd.com</a>. Select “<b>Register Online for IDeAS Portal</b>” or click at <a href="https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a>.</p> <p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsd.com/">https://www.evoting.nsd.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p> <p>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “<b>NSDL Speede</b>” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <div data-bbox="1061 1346 1452 1574" style="text-align: center;"> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p>  </div>
<p>Individual Shareholders in demat mode with CDSL</p>	<p>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login icon &amp; New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username &amp; password.</p>

	<p>2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुड़ने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके।</p> <p>3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4) इसके अलावा, यूजर <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूजर ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहाँ ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।</p>
<p>एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉ गइन क्रेडेंशियल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉ गइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद दुबारा एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉ जिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।</p>

	<p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login &amp; New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p>

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का एक्सेस करने के लिए अपने डीमैट खाता में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अद्यतित करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों के लिए लॉगइन प्रक्रिया निम्नलिखित दी गयी है:

**महत्वपूर्ण नोट:** जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूजर आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

**Important note:** Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.



डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेक्स का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 1800 22 55 33 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

- 1) एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।
- 2) ई-वोटिंग सिस्टम के होम पेज पर जाकर 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' खंड में जाएँ एवं "Login" आइकॉन पर क्लिक करें।
- 3) एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।  
वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ अर्थात् आईडीईएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से <https://eservices.nsdl.com/>, पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपनी लॉग-इन जानकारी के माध्यम से एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।
- 4) आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

शेयर धारण प्रणाली अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूजर आईडी
क. एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	8 अक्षरों की डीपी आईडी तदुपश्चात 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख. सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी उदाहरणतया यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** है।

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.**

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at toll free no. 1800 22 55 33

**B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**How to Log-in to NSDL e-Voting website?**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.  
*Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID  For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID  For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.

शेयर धारण प्रणाली अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूजर आईडी
ग. भौतिक रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	EVEN संख्या तदपश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड फोलियो संख्या उदाहरण के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001*** एवं EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company  For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण नुम्नानुसार है:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत है तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करना होगा। अपने 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करने के पश्चात 'इनिशियल पासवर्ड' प्रविष्ट करने पर सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने का विकल्प देगा।
- ग) 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनःप्राप्त कैसे करें?
  - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ फ़ाइल है। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल (NSDL) खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता ID' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
  - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ है या अभी तक 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भूल गए हैं:

- क. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). पर उपलब्ध विकल्प "**फॉर्गोट यूजर डिटेल/पासवर्ड?**" पर क्लिक करें(यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)।
- ख. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). पर उपलब्ध विकल्प "**फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?**" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं)
- ग. यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर टिक करें।

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
  - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
  - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on "**Forgot User Details/Password?**"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
- d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. अब, आपको 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।**

- इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?**
1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों "EVEN" को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
  2. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के तहत उपलब्ध विकल्प "वीसी / ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
  4. उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें, संकेत दिए जाने पर "पुष्टि" करें।
  5. पुष्टि होने पर, संदेश "Vote Cast Successfully" प्रदर्शित किया जाएगा।
  6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
  7. एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) स्क्रीननाइजर पर ईमेल [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) के माध्यम से तथा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) को कॉपी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है।
2. दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग करना होगा।
3. कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध कर सकते हैं।

8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.**

- How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?**
1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
  2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
  3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
  4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
  5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
  6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
  7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

### General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).



उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं,:

1. भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वतःसत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वतःसत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या <http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx> लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया [Headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:Headoffice.share@bankofindia.co.in) पर अथवा <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx> लिंक पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1(ए) में दिए गए लॉगइन तरीके का संदर्भ लें अर्थात् डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/evoting@nsdl.co.in को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

**ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:**

- 1) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- 2) केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- 3) जिन लोगों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
- 4) ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

**वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. शेयरधारक को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी

**Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:**

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to [Headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:Headoffice.share@bankofindia.co.in) or to the RTA by clicking the link at <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to [Headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:Headoffice.share@bankofindia.co.in) or to the RTA by clicking the link at <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
3. Alternatively shareholder/ may send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

**THE INSTRUCTIONS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-**

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
3. who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

**INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:**

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful

के नाम के विपरीत “Join Meeting” मेनू के तहत रखे गए “वीसी / ओएवीएम” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

#### शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना

सेबी ने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए अपने संबंधित फोलियो के लिए पैन, केवाईसी, बैंक विवरण, संपर्क विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बैंक ने बैंक की भौतिक प्रतिभूतियों वाले सभी शेयरधारकों को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा है जिसमें उनसे अपने फोलियो को फ्रीज होने से बचने के लिए पैन, केवाईसी, बैंक विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। केवाईसी और नामांकन के लिए पत्र और निर्धारित प्रारूपों की नमूना प्रति बैंक की वेबसाइट [https://www.bankofindia.co.in/format\\_for\\_Boi\\_shareholders](https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders) पर उपलब्ध है।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना फोलियो जिसमें उपर्युक्त दस्तावेजों/विवरणों में से कोई एक 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, को उक्त सेबी परिपत्रों के अनुसार बैंक के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड/ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि ये फोलियो 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, तो उन्हें बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और /या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासी प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

#### व्याख्यात्मक विवरण

##### मद सं. 3

बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में श्री भूषण कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री भूषण कुमार सिन्हा की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

login, you can see link of “VC/OAVM” placed under “Join meeting” menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

#### FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION BY SHAREHOLDERS

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16<sup>th</sup> March 2023 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, KYC, Bank details, contact details, Specimen Signature and Nomination for their corresponding folios.

Bank has sent an individual letter to all shareholders holding physical securities of the Bank requesting them to furnish PAN, KYC, Bank details, Specimen signature and Nomination to avoid freezing of their folios. Specimen copy of letter and prescribed formats for KYC and Nomination is available on Bank's website at [https://www.bankofindia.co.in/format\\_for\\_Boi\\_shareholders](https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders).

#### Freezing of folios without PAN, KYC details and Nomination

Folios wherein any one of the above mentioned documents / details are not available on or after 1<sup>st</sup> October 2023, shall be frozen by Bank's RTA Bigshare Services Pvt. Ltd., / Bank of India in terms of the said SEBI Circulars. The frozen folios will be referred to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and / or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31<sup>st</sup> December 2025.

#### EXPLANATORY STATEMENT

##### Item No. 3

**Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री भूषण कुमार सिन्हा को 11 अप्रैल, 2022 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

#### श्री भूषण कुमार सिन्हा का संक्षिप्त विवरण:

डीआईएन : 08135512

आयु: 58 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: एमबीए, पीएचडी

श्री भूषण कुमार सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के हैं। उन्होंने नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में मास्टर डिग्री और वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है।

वर्तमान में वह वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। 2018 में डीएफएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन साल कार्य किया था।

वह 14.05.2018 से 11.04.2022 तक भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में थे।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री भूषण कुमार सिन्हा या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त समाधान में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक।

#### मद सं 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री सुब्रत कुमार को 21 नवंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

#### श्री सुब्रत कुमार का संक्षिप्त परिचय

डीआईएन: 08102232

आयु: 52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: बीएससी, एमबीए, सीएआईआईबी

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of Government of India on the Board of the Bank, w.e.f April 11, 2022 to until further orders.

#### Brief profile of Shri Bhushan Kumar Sinha:

DIN : 08135512

Age: 58 years

Educational Qualification: MBA, Ph.D

Shri Bhushan Kumar Sinha belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. He holds a Master's degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University, Canberra, Australia and a Ph. D from the Department of Financial Studies, University of Delhi, India.

Presently he is posted as Additional Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in 2018, he had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM).

He was on the Board of Central Bank of India as GOI's Nominee Director w.e.f 14.05.2018 till 11.04.2022.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Other than **Shri Bhushan Kumar Sinha** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

#### Item No. 4:

**Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Subrat Kumar.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Subrat Kumar as Executive Director on the Board of the Bank, w.e.f from November 21, 2022 to November 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

#### Brief profile of Shri Subrat Kumar

DIN: 08102232

Age: 52 years

Education Qualification: B.Sc, MBA, CAIIB



श्री सुब्रत कुमार को वाणिज्यिक बैंकों/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ट्रेजरी और निवेश बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी और कॉर्पोरेट बैंकिंग में विशेष विशेषज्ञता के साथ परिचालन और रणनीतिक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न एक्सपोजर प्राप्त किए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय प्रमुख, पटना, ट्रेजरी प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी और कॉर्पोरेट क्रेडिट के प्रमुख जैसी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य जोखिम अधिकारी (ई विजया बैंक) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद भी संभाला।

वह एफआईएमएडीए और बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी थे।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

श्री सुब्रत कुमार या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर।

#### मद सं. 5:

श्री रजनीश कर्नाटक को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री रजनीश कर्नाटक की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री रजनीश कर्नाटक को 29 अप्रैल, 2023 से 28 अप्रैल, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

#### श्री रजनीश कर्नाटक का संक्षिप्त परिचय

डीआईएन: 08912491

आयु: 52 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: एम.कॉम, सीएआईआईबी

श्री रजनीश कर्नाटक 21 अक्टूबर, 2021 से यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति तक पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। उनके पास 29 से अधिक वर्षों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है और उनके पास विभिन्न शाखा और प्रशासनिक कार्यालयों का अनुभव है। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं और ऋण निगरानी, डिजिटल बैंकिंग और मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट जैसे वर्टिकल का नेतृत्व किया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग डिवीजन और कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन का भी नेतृत्व किया है।

Shri Subrat Kumar has over 27 years of experience in Commercial Banks / Asset Management Co.

During his long stint in the Banking Industry, he has gained varied exposures in all important spheres of operational and strategic Banking with special expertise in Treasury & Investment Banking, Risk Management, Credit Monitoring & Corporate Banking. He successfully handled the responsibilities such as Regional Head, Patna, Head of Treasury Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring & Corporate Credit. He held the position of Chief Risk Officer (eVijaya Bank) and Chief Financial Officer (CFO) of Bank of Baroda, as well.

He was also on the Boards of FIMMDA and BoB Capital Markets Ltd.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Other than **Shri Subrat Kumar** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

#### Item No.5 :

#### Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Rajneesh Karnatak.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Rajneesh Karnatak as Managing Director & Chief Executive Officer on the Board of the Bank, w.e.f from April 29, 2023 to April 28, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

#### Brief profile of Shri Rajneesh Karnatak

DIN: 08912491

Age: 52 years

Educational Qualification: M.Com, CAIIB

Shri Rajneesh Karnatak was Chief General Manager of Punjab National Bank until his appointment as Executive Director in Union Bank of India from October 21, 2021. He has a rich banking experience of over 29 years and carries varied branch and Administrative office experience. As General Manager in erstwhile Oriental Bank of Commerce, he has headed Large Corporate Credit Branches and verticals such as Credit Monitoring, Digital Banking and Mid Corporate Credit. Post the amalgamation of Oriental Bank of Commerce into Punjab National Bank, he has also headed Credit Review & Monitoring Division and Corporate Credit Division in Punjab National Bank.

वह क्रेडिट जोखिम पर विशेष संदर्भ/विशेष जोर देने के साथ जोखिम प्रबंधन के साथ परियोजना वित्त पोषण और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण सहित क्रेडिट मूल्यांकन कौशल रखते हैं।

श्री कर्नाटक ने यूनिन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने यूबीआई (यूके) लिमिटेड के बोर्ड में गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आईएएमसीएल (आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) में बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी काम किया।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री रजनीश कर्नाटक या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक है।

#### मद सं.6 :

**श्री मुनीश कुमार रल्हन को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।**

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री मुनीश कुमार रल्हन की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री मुनीश कुमार रल्हन को 21 मार्च, 2022 से 20 मार्च, 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

#### श्री मुनीश कुमार रल्हन का संक्षिप्त परिचय:

डीआईएन: लागू नहीं

आयु: 49 वर्ष

शैक्षिक योग्यता: बीएससी, एलएलबी

श्री मुनीश कुमार रल्हन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। उन्हें सिविल, आपराधिक, राजस्व, वैवाहिक, बैंकिंग, बीमा कंपनियों, उपभोक्ता, संपत्ति, दुर्घटना मामलों, सेवा मामलों आदि से संबंधित मामलों से निपटने का 26 वर्षों का समृद्ध अनुभव है।

वह होशियारपुर, पंजाब में भारत संघ के स्थायी वकील हैं।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

आपके निदेशक नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष संकल्प पारित करने की सूचना देते हैं।

He carries with him credit appraisal skills including project funding & working capital funding along with Risk Management with specific reference/ special emphasis on Credit Risk.

Shri Karnatak has served as Non-Executive Chairman of UBI Services Ltd., on behalf of Union Bank of India. He has also served as Non Independent Non-Executive Director on the Board of UBI (UK) Limited. He was a member of the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM) Guwahati. He has served as Nominee Director on behalf of Punjab National Bank on the Board of PNB Housing Finance Ltd., and India SME Asset Reconstruction Company Limited. He also served as Board Trustee on IAMCL (IIFCL Asset Management Co. Ltd).

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Other than **Shri Rajneesh Karnatak** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

#### Item No.6 :

**Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Munish Kumar Ralhan.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director on the Board of the Bank, w.e.f from March 21, 2022 to March 20, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

#### Brief profile of Shri Munish Kumar Ralhan:

DIN: Not Applicable

Age: 49 years

Educational Qualification: B.Sc, L.L.B

Shri Munish Kumar Ralhan, is a Practicing advocate in Punjab and Haryana High Court and Subordinate Courts. He is having rich experience of 26 years dealing with cases relating to Civil, Criminal, Revenue, Matrimonial, Banking, Insurance Companies, Consumer, Property, Accident cases, Service matters, etc.

He is the Standing Counsel for Union of India at Hoshiarpur, Punjab.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2022-23, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2023 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2022-23.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in Item no.6 of the Notice.

श्री मुनीश कुमार रलहन या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त, बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कोई हितबद्धता या संबंध नहीं रखते हैं।

**मद संख्या 7:**

**पूँजी जुटाना**

बैंक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं की गतिविधियों के कारोबार में है। वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 6,000 करोड़ है। 31 मार्च 2023 तक बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी रु. 4,103.57 करोड़ है। बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूँजी का 81.41% है।

वर्तमान में बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 18.59% है जिसे बैंक को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बढ़ाकर 25% या उससे अधिक करना होगा। इसलिए, बैंक सार्वजनिक शेयरधारिता को 25% या उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए नई इक्विटी पूँजी जारी करने का प्रस्ताव करता है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूँजी निधि निम्नानुसार थी।

**पूँजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III**

रु. करोड़ में

मापदण्ड	अपेक्षित विनियामक पूँजी 31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023 वास्तविक	31 मार्च, 2022 वास्तविक
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं	3,54,534	3,16,395
कुल पूँजीगत निधि		57,727	52,253
सीईटी 1 पूँजी		48,232	42,695
टियर 1 पूँजी		51,084	44,047
सीईटी 1 (%)		8.00	13.60
टियर 1 (%)	9.50	14.41	13.92
टियर 2 (%)	2.00	1.87	2.59
सीआरएआर (%)	11.50	16.28	16.51

**नोट:** आरबीआई के न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी 1 और टियर 1 अनुपात, 2.50% के पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित हैं।

कारोबारी आस्तियों के विस्तार के लिए बेसल III दिशानिर्देशों के तहत पूँजी और लीवरेज अनुपात आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए और अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने पूँजी को रु. 6,500 करोड़ रुपये (छह हजार पांच सौ करोड़ रुपये) तक जुटाने का निर्णय लिया है।

विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और लक्षित कारोबारी विकास के विस्तार को प्राप्त करने तथा सामान्य ऋण उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त पूँजीगत निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैंक सार्वजनिक निर्गम (यानी फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और/या निजी नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर पूँजी जुटा सकता है, जिसमें

Other than **Shri Munish Kumar Ralhan** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**Item No. 7:**

**Raising of Capital**

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently the Authorised Capital of the Bank is Rs.6,000 Crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31<sup>st</sup> March 2023 is Rs.4,103.57 Crore. The shareholding of Government of India in the Bank is 81.41% of the total paid-up capital of the Bank.

Present public shareholding in the Bank is 18.59% and the Bank has to increase this to 25% or above in order to comply with the minimum public shareholding requirements as per the Security Contracts (Regulation) Rules, 1957 and SEBI (LODR) Regulations, 2015. Hence, Bank proposes to issue fresh equity capital to increase the public shareholding to 25% or above.

The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2023 was as under:

**Capital Adequacy Ratios – Basel III**

Rs. in Crore

Parameters	Required Regulatory Capital March 31, 2023	March 31, 2023 Actual	March 31, 2022 Actual	
Total Risk Weighted Assets	N.A	3,54,534	3,16,395	
Total Capital Funds		57,727	52,253	
CET 1 Capital		48,232	42,695	
Tier 1 Capital		51,084	44,047	
CET 1 (%)		8.00	13.60	13.49
Tier 1 (%)		9.50	14.41	13.92
Tier 2 (%)		2.00	1.87	2.59
CRAR (%)	11.50	16.28	16.51	

**Note:** RBI minimum benchmarks are including Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios.

In order to maintain the Capital and Leverage ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital upto **Rs.6,500 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e Follow-on Public Issue) and / or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and / or Preferential Allotment and / or Rights Issue and / or any other

योग्य संस्थान प्लेसमेंट और/या अधिमान्य आवंटन और/या राइट्स इश्यू और/या भारत सरकार और अन्य नियामक द्वारा अनुमोदन के अधीन कोई अन्य मोड शामिल है। प्राधिकरण और सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यदि प्रतिभूतियों को व्यूआईपी के माध्यम से जारी किया जाता है, तो यह सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 के अध्याय VI के अनुसार होगा।

बैंक एक या एक से अधिक किस्तों में निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर अधीनस्थ डिबेंचर, बांड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों सहित अपरिवर्तनीय ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या भी जुटा सकता है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित और वर्गीकृत टियर-1 या टियर-2 पूंजी के लिए वर्गीकृत कर सकते हैं तथा सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम 2021 के अनुपालन में हो।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 41(4) में यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या पेशकश की जा रही हो, मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-रेटा आधार पर इसकी पेशकश की जानी चाहिए, जब तक कि शेयरधारक इक्विटी शेयरों के संबंध में आम बैठक में अन्यथा निर्णय न लें। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका प्रभाव बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के बजाय प्रतिभूतियों को जारी करने और आवंटित करने की अनुमति देने का होगा।

इसलिए उपर्युक्त कारणों से, इस विषय की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।


वर्तमान संकल्प भी प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल इक्विटी शेयर को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य नियमों पर जारी कर सके। यह प्रस्तावित प्रस्ताव पारित होने के बाद, यह 15 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पहले से ही पारित प्रस्ताव की जगह लेगा।

विशेष संकल्प के अनुरूप इक्विटी शेयर और/या बॉण्ड का प्रस्तावित इश्यू सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक इस सूचना की मद संख्या 7 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी पूर्वोक्त संकल्प के संबंध में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कुछ हो तो, उसे छोड़कर और कोई हितबद्धता या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से,



रजनीश कर्नाटक  
प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थान: मुंबई  
तिथि: 25 मई, 2023

mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilised for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

The Bank may also raise such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to subordinated debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as identified and classified by RBI and in compliance with the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

The Regulation 41(4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise as far as equity shares are concerned. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares / Bonds at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed, it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on 15<sup>th</sup> July, 2022.

The proposed issuance of Equity Shares and / or Bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in Item no. 7 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of Board of Directors,



Rajneesh Karnatak  
Managing Director & CEO

Place: Mumbai  
Date: May 25, 2023